कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 543 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 29 अगस्त, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :– **जनपद– नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 देवलामल्ला से किमी0 0.200 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 है0 (पूर्व में 1.53 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन किये जाने के सम्बन्ध में। (online no. FP/UK/ROAD/20099/2016)**

संदर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्रांकः– 8बी0/यूवसी0पि0/06/215/एफ0सी0/900 दिनांकः– 10.10.2023।**

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी की पत्र संख्या–2856/12–1 दिनांक 10.06.2024 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0		प्रशन	उत्तर
1.		वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2.		परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया है कि दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।
3.	क–	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1820 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.82 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया है कि दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।
	ख–	राज्य सरकार पौधारोपण क्षेत्र के coordinates अंकित करते हूए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया है कि दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।
	ग–	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया है कि दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।
4.		प्रतिपूरक वनीरकण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनिकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन ही लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नः– 1)**

	किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।		
	क–	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च नयायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 566 दिनांक:– 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.200 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक:– 5–1/1998–एफ0सी0 (spt. 2) दिनांक:– 18.09.2003, 5–2/2006– एफ0सी0 दिनांक:– 03.10.2006 एवं 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक:– 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **0.91** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रमण्डलीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव के तहत एन0पी0वी0 की धनराशी 8,71,580.00 मात्र रू0 utr no SBIN-22410343154O द्वारा कैम्पा मद में जमा कि गयी है। (संलग्न:– 2)
	ख–	विशषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय सर्वोच्च द्वारा प्रत्यावेदित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशी, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो, लोक निर्माण विभाग वहन द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेपित किया गया है। (संलग्न:– 3)
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 18 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।		प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेपित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न:– 4)**
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण के प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनिकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया है कि वांछित धनराशी रू0 16,88,380.00 मात्र UTR No-SBIN- 2241013431540 के द्वारा कैम्प कोष में जमा कर दिया गया है।
8.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न:– 5)**
9.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न:– 6)**
10.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न:– 7)**
11.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया है कि वन भूमि पर श्रमिक सिविर नहीं लगाया जाएगा।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन से किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न:– 8)**
13.	संबंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आ0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सिमांकन किया जाएगा। जस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न:– 9)**
14.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न:– 10)**
15.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न:– 11)**
16.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी प्ररिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न:– 12)**
17.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि

	1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या– 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जाएगा।
18.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित के समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जाएगा।
19.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिरएवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारों बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जाएगा।
20.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जाएगा।
21.	अनुपालन रिपोर्ट ई– पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जाएगा।
22.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित से समय–समय पर निर्धारति शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि उच्च स्तर से दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जाएगा।
23.	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि उच्च स्तर से दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जाएगा।
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूर अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि उच्च स्तर से दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जाएगा।
25.	अनुपालन रिपोर्ट ई– पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि उच्च स्तर से दिये गये निर्देशो का अनुपालन किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं सवंवर्धन) अधिनियम–1980, यथासंशाधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 543 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

ई–मेल–eepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :– 2020 / 29My

दिनॉक :– 16 / 05 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

विषय :– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 देवलमल्ला से किमी0 0.200 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 है0 पूर्व मं 1.53 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण का प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक 2688/12–1 दिनांक 13.05.2024 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा सैन्द्वातिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रश्नोत्तरी एवं उसका प्रतिउत्तर कॉलम के रूप में निम्नवत् प्रेषित है।

क0सं0	भारत सरकार की शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	सी0ए0 रू0 8,16,800.00 मात्र यू.टी.आर. न0 SBIN 2241013431540 द्वारा कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया हैं। प्रतिपूरक वृक्षारोपण संबंधी अनुपालन वन विभाग स्तर से की जानी है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1820 पौंधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.82 ha area (वतर्मान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। ख) राज्य सरकार पौधारोपण क्षेत्र के co-ordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, सी0ए0 क्षेत्र, प्रस्तावित एम0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	(क) प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग से अनुपालन किया जाना हैं। (ख) प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग से अनुपालन किया जाना हैं। (ग) प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग से अनुपालन किया जाना हैं।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वोक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रमाण पत्र संलग्न है।

5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या : 202 / 1995 में 1A नम्बर 556 दिं0 30.10.2002, 10.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एंव 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिं0 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ0सी0 दिं0 03.10.2006 एं0 5–3 / 2007 एफ0सी0 दिं0 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.91 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वज्ञरा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो , जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से बसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शुद्ध वर्तमान मूल्य– (क) इस प्रस्ताव के तहत एन. पी.वी. रू0 8,71,580.00 मात्र यू.टी.आर. न0 SBIN 2241013431540 द्वारा कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया हैं। चालान की प्रति संलग्न हैं।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 18 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत ज़मा की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभियकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षेतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धत और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित / जमा किए जाएंगे।	वांछित धनराशि रू0 16,88,380.00 मात्र यू.टी.आर. न0 SBIN 2241013431540 के द्वारा कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है।
8	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपाल सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 प्राविधानो के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर श्रमिक शिविर नही लगाया जायेगा।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लगड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंन दिया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसर , प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वज्ञरा समीमांकनकिया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एंजेसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42 / 2017– FC दिं0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन विभाग स्तर से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।
18	पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	वन विभाग स्तर से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।

19	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थालों पर इस प्रकार का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाततियों के पौधे लगाकर यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थालों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन विभाग स्तर से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।
20	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य समरकार / प्रायेक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	वन विभाग स्तर से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।
21	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	वन विभाग स्तर से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्न – प्रमाण पत्र 21 नग 4–4 प्रतियों मं
ट्रेजरी चालान 4 प्रतियों में।

भवदीय

(इं0 रत्नेश कुमार सक्सैना)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
नैनीताल

11:34 AM

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra   कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 03-04-2024

Agency Name.	**PUBLIC WORKS DEPARTMENT**
Application No.	**6120099158**
MoEF/SG File No.	**8B/UCP/06/215/2016/FC**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address.	**Office of the Executive Engineer, Provincial Division , Public Works Division, NainitalNainital**
Amount(in Rs)	**1688380/-**

Amount in Words :Sixteen Lakh Eighty-Eight Thousand Three Hundred and Eighty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**UBIN0996335**
Pay to Account No.	**150896120099158** **Valid only for this challan amount.**
Bank Name & Address:	**Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

Note:After making the required payment through cha even after 7 working days, then kindly mail a copy o id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse(ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR SBIN 224103431540

Executive Engineer
Provincial Division, P.W.D.
NAINITAL.

12 APR 2024

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA Talli Tal, Nainital

3/688380

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

ई–मेल–eepdpwdntl@gmail.c

पत्रांक :– 849 /29 एम0जी0 दिनॉक :– 03/04/24

सेवा में ,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैक,
नैनीताल।

विषय :– मांग ड्राफ्ट सं0 185679 दिनाक 02.04.2024 रू0 16,88,380.00 मात्र का भुगतान संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि मांग ड्राफ्ट सं0 185679 दिनाक 02.04 रू0 16,88,380.00 मात्र का भुगतान विजयपुर–पहाड़पानी मोटर मार्ग के एन0पी0वी0 एवं अन्य भुगतान हेतु किया गया हैं। जिसका भुगतान NEFT/RTGS चालान के माध्यम से जमा किया जाना हैं।

अतः उक्त भुगतान NEFT/RTGS चालान से जमा करने का कष्ट करें। NEFT/RTGS च प्रेषित किया जा रहा हैं।

संलग्नः– मांग ड्राफ्ट सं0 185679 दिनांक 02.04.2024

1. रू0 16,88,380.00 मात्र मूल में।
2. NEFT/RTGS चालान तीन प्रतियों।

भवदीय

अधिशासी अभियन्त
प्रा0ख0 ,लो0नि0वि
नैनीताल।
2/4/2024

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India Nainital 04/04/24

बिन्दु सं0 – 04

परियोजना का नाम– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत वन विभाग की योग के अनुसार प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

बिन्दु सं0 – 05(क) शपथ पत्र

परियोजना का नाम– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शूद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो लो0नि0वि0 वहन करने को सहमत है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

बिन्दु सं0 – 06 प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रमाणित किया जाता है कि विषयांकित मार्ग के निर्माण के समय प्रत्यावर्तित वनभूमि में वृक्षो की कटाई न्यूनतम की जायेगी तथा विभाग द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

बिन्दु सं0 – 08 प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

बिन्दु सं0 – 09 प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यायवरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

बिन्दु सं0 – 10 प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

बिन्दु सं0 — 16 प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल